न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:—हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या:— 08/2019

प्रार्थी:—

रामलाल पुत्र श्री पुखराज, जाति—मेघवाल, उम्र—50 वर्ष, निवासी— 125 नाडी वाला बास मेघवाल बस्ती केरू तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक:— 27 जनवरी 2020

उपस्थिति:— श्री रघुवीरसिंह अधिवक्ता प्रार्थी।

सरकारी पैरोकार अनु.

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम महादेव नगर उन्देड़ा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 616 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 619/1 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 619/11 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 05 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि की जमाबंदी मे त्रुटिवंश भूलवंश रामाराम पुत्र पुखराज दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम रामलाल पुत्र पुखराज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात् आधार, कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र इत्यादि में रामलाल पुत्र पुखराज दर्ज जो सही है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त भूमियो में रामाराम पुत्र पुखराज के स्थान पर रामलाल पुत्र पुखराज जमाबंदी में संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें बताया कि पटवार मण्डल केरू के ग्राम महादेव नगर उन्देडा की जमाबंदी सम्वत् 2060—2063 के खाता संख्या 172 खसरा नं. 616, 619/1, 619/11 रकबा 6.10 बीघा 4.15 बीघा व 1.08 बीघा खाता संख्या 24 खसरा नं. 5 रकबा 21.16 बीघा में रामाराम पुत्र पुखराज के नाम खातेदारी दर्ज है। शेष तथ्य प्रार्थी स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 2 व 3 स्वंय सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 4 कानूनी है एवम बिन्दु संख्या 5 न्यायालय से सम्बंधित है। प्रार्थी की प्रार्थना है जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियो में रामाराम पुत्र पुखराज के स्थान पर रामलाल पुत्र पुखराज संशोधन किये जाने का अनुरोध किया।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात् एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गयी बहस का अध्ययन कर विचार किया गया। ग्राम महादेव नगर उन्देडा की जमाबंदी सम्वत् 2060–2063 के खाता संख्या 172 खसरा नं. 616, 619/1, 619/11 रकबा 6.10 बीघा 4.15 बीघा व 1.08 बीघा खाता संख्या 24 खसरा नं. 5 रकबा 21.16 बीघा में रामाराम पुत्र पुखराज का नाम दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पेन कार्ड, निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र में रामलाल पुत्र पुखराज दर्ज है। अप्रार्थी की ओर से इस बाबत् शुद्धि किये जाने के सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महादेव नगर उन्देड़ा तहसील व जिला जोधपुर पटवार क्षेत्र केरू के खसरा नं. 616 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 619/1 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 619/11 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 05 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा भूमियो में रामाराम पुत्र पुखराज के स्थान पर रामलाल पुत्र पुखराज राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कर अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner